BCCI BULLETIN

Vol. 54 | JUNE 2023 | No. 6

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने चैम्बर में ऋण शिविर आयोजित किया

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र महाप्रबन्धक, राँची श्री बैजनाथ सिंह एवं क्षेत्र प्रमुख, पटना श्री राजेश कुमार।

ऋण वितरण समारोह में उपस्थित यूनियन बैंक के अधिकारीगण एवं लाभार्थीगण।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिनांक 09 जून, 2023 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में एमएसएमई, खुदरा एवं कृषि ऋण वितरण समारोह हुआ।

शुभारम्भ बैंक के क्षेत्र महाप्रबन्धक, राँची के श्री बैजनाथ सिंह एवं क्षेत्र प्रमुख, पटना श्री राजेश कुमार ने किया। इसमें 87 करोड़ 64 लाख रूपये की ऋण की स्वीकृति प्रदान की गयी। दोनों अधिकारी दो दिवसीय पटना दौरे पर आये थे।

(साभार : हिन्दुस्तान 11.6.2023)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के तहत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए छह साल पूरे हो चुके हैं। अब 1.5 लाख करोड़ रूपये का मासिक राजस्व एक तरह से सामान्य हो चुका है।

इस राजस्व वृद्धि के प्रमुख कारक हैं – भारत में मजबूत मांग और खपत, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ोत्तरी, ई–इन्वॉइसिंग में बढ़ोत्तरी, विनियामक अनुपालन में तेजी, नए कर–दाताओं में बढ़ोत्तरी एवं डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता।

फिर भी जीएसटी कर की दरों और स्लैब को तर्क संगत बनाने, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर जीएसटी लगाने जैसे मुद्दों पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ऑन लाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन–देन पर स्पष्टता अभी बाकी है।

व्यवसायियों को अपने आयकर रिफंड क्लेम करना और कारोबारी नुकसान को अगले साल के फायदे में सामंजस्य (Adjustment) करना और आसान होगा। इनकम टैक्स ऑफिसर्स के नये क्षेत्राधिकार घोषित कर दिये गये हैं। एक जून 2023 से लागू हुई व्यवस्था के मुताबिक बड़े मामलों में रिफंड के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) ऑफिस नहीं जाना होगा। अब 3 करोड़ रूपये तक के मामले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के यहाँ से ही निस्तारित किये जा सकेंगे। पहले यह सीमा 50 लाख रूपये ही थी।

नई व्यवस्था में प्रधान आयकर आयुक्त को 50 लाख रूपये, मुख्य आयकर आयुक्त को 50 लाख से 2 करोड़ और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को दो से तीन करोड़ रूपये तक के मामले सौंपे जायेंगे। 3 करोड़ रूपये से ज्यादा के मामले का निस्तारण सीबीडीटी करेगा। रिफंड के लिए आवेदन अधिकतम छह साल तक किया जा सकेगा। हॉलाकि एक बार में एक ही साल का दावा माना जायेगा, देरी की स्थिति में सही कारण बताना होगा, जिस पर निर्णय आयकर अधिकारी कर सकेंगे।

सूबे में बिजली बिल के साथ अग्रिम (Advance) पैसा जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कम्पनी ने ब्याज देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बिजली कम्पनी की ओर से वन टाइम स्कीम (OTS) लॉच करने की योजना है। प्रस्तावित योजना के तहत कुटीर ज्योति से लेकर औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एडवांस पैसा जमा करने पर बिजली कम्पनी ब्याज देगी।

केन्द्र सरकार बिजली की दरों में बदलाव को लेकर नया नियम लाने जा रही है। इसके अनुसार दिन में बिजली की खपत पर कम और पीक आवर्स में अधिक भुगतान करना होगा। नये नियम के अनुसार सौर घंटों (राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय आठ घंटे की अवधि) के दौरान टैरिफ सामान्य टैरिफ से 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा। नया नियम 10 किलोवाट और उससे अधिक मांग वाले वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पहली अप्रील, 2024 से और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए पहली अप्रील, 2025 से लागू होगा, जबकि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ स्मार्ट मीटर लगने के तुरन्त बाद ही लागू होगा।

राज्य के बड़े उद्योगों (HTSS) को बिहार विद्युत विनियामक आयोग से बड़ी राहत मिली है। बिहार स्टील मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन (BSMA) की याचिका पर आयोग ने फिक्स चार्ज को 1000 रूपये के बदले 800 रूपये प्रति किलोवाट कर दिया है। **यह निर्णय 1 अप्रील, 2023 से ही प्रभावी होगा।**

पटना जिले के फतुहा में लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए 108 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। **इस लॉजिस्टिक पार्क के बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेगे। इसके अतिरिक्त कनेक्टिविटी का विस्तार होने के साथ एक बड़ा बाजार विकसित होगा जिसका लाभ बिहार के लोगों खासकर, व्यवसायियों को मिलेगा।**

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के 1000 से अधिक इकाईयों की जमीनों का आबंटन रद्द कर दिया है। **उन इकाईयों के जमीनों का आबंटन रद्द करने से पूर्व इकाईयों को अपना पक्ष रखने का एक समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था।**

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले के नये उद्यमियों की पहचान कर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का जिम्मा दिया है। **आशा है कि इससे कुछ नये निवेशक जरूर उद्योग लगाने को आगे आयेंगे।**

आरामदायक सफर एवं नई सुविधाओं युक्त पटना–रॉची के बीच वन्दे भारत ट्रेन समेत नई पॉच वन्दे भारत ट्रेनों को माननीय प्रधान मंत्री ने 27 जून, 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। **आम जनों, विशेषकर व्यवसायियों के लिए यह ट्रेन लाभकारी होगी।**

माननीय मुख्यमंत्री जी की गंडक–गंगा नदी जोड़ योजना, जिसमें गोपालगंज जिले के हीरापाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलो मीटर लम्बे लिंक चैनल का निर्माण होगा। **यह योजना यदि धरातल पर आ गई तो गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों के निवासियों के लिए लाभप्रद होगा। इन क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन एवं भूजल स्तर में सुधार के लिए यह महत्वपूर्ण योजना सिद्ध होगी।**

गेहूँ की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले साल मार्च तक भंडारण पर सीमा निर्धारित कर दी है। बिहार सरकार के जारी आदेश के तहत व्यापारी एवं थोक विक्रेता 3 हजार टन तथा रिटेलर 10 टन से ज्यादा गेहूँ का भंडारण नही कर सकेंगे। सरकार ने यह कदम केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश के तहत उठाया है। **व्यापारी को अपने स्टॉक सम्बन्धी सूचना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। इसके उलंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित है कि यदि व्यापारियों के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो 30 दिनों में निर्धारित स्टॉक सीमा तक सुनिश्चित कर लें।**

सादर,

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

बिहार चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर से दिनांक 07 जून 2023 को राजभवन, पटना में मिलकर विभिन्न विषयों पर उनसे विचार-विमर्श किया जिसमें मुख्य उद्योग से संबंधित विषय थे।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं श्री पवन कुमार भगत सम्मिलित थे।

महामहिम राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर का पुष्पगुच्छ से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

जीएसटी रिटर्न फॉर्म में सभी विवरण भरे मिलेंगे

करदाताओं के लिए एआईएस जैसी सुविधा लाएगी सरकार

1.39 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं देश में जीएसटी के तहत • 1.01 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी थी बीते वर्ष में

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है। इसके लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की तर्ज पर जीएसटी करदाताओं को वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) जैसी सुविधा देने की तैयारी है। इसे इस साल के अंत तक शुरू किया जा सकता है।

आयकर की तर्ज पर बदलाव : फिलहाल, आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को एआईएस की सुविधा दी गई है। इस वार्षिकी रिपोर्ट को आयकर विभाग की वेबसाइट या एआईएस एप से डाउनलोड किया जा सकता है। एआईएस में रिटर्न भरने से जुड़ी कई जरूरी जानकारियाँ होती हैं। जैसे अलग-अलग स्रोतों से संबंधित वित्त वर्ष के दौरान हुई कुल कमाई, कर देनदारी इत्यादि। इससे करदाता आसानी से अपनी पूरी कमाई का मिलान कर पाते हैं। एआईएस मदद से सामान्य आयकरदाता किसी विशेषज्ञ की मदद लिए बिना खुद से ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, लोग जीएसटी पंजीकरण के लिए फर्जी दस्तावेज लगा रहे हैं। इसके जरिए करोड़ों रुपये के फर्जी बिल बनाए गए। देश की 1800 फर्मों ने 10 हजार करोड़ से अधिक की बोगस क्रेडिट ली है। इसके चलते बीते छह साल में 49.35 लाख आवेदन में 26.93 लाख रद्द हो गए।

जीएसटी रिटर्न के लिए कई नई सुविधाएँ : केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड अब जीएसटी रिर्टन दाखिल करने वालों के लिए भी एआईएस जैसी सुविधा पर काम कर रहा है। इसमें करदाता को भी सभी लेनदेन का विस्तृत ब्योरा और बिल मिल जाएँगे। इसकी मदद से करदाताओं को अपनी कर देनदारी का पता चलता रहेगा। इसके साथ ही जीएसटी रिटर्न के लिए प्री- फिल्ड (पहले से भरे) फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं।

मुकदमों में कमी आएगी : अधिकारियों का कहना है कि इन नई सुविधाओं की शुरुआत होने से जीएसटी संबंधी मुकदमों में कमी आएगी। नियमों का पालन बेहतर होगा और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इन सुविधाओं से खास तौर पर छोटे करदाताओं को ज्यादा फायदा होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.6.2023)

India's Disinflation Process to be Slow and Protracted: RBI Guv

The 'central bank expects India's disinflation process will be slow and protracted with the target of 4% being achieved only in the medium term, governor Shaktikanta Das said. The cumulative impact of the Reserve Bank of India's (RBI) monetary policy actions over the past one year is still unfolding, and inflation at 5.1% for the current year will still be above the target, he said.

Das reiterated that the monetary policy committee's (MPC) decision to pause rate increases at the last two meetings in April and June was not a definitive change in policy direction.

"Recognising that explicit guidance in a rate tightening cycle is inherently fraught with risks, the MPC has also eschewed from providing any future guidance on the timing and level of the terminal rate," he said.

He pointed out that the Indian economy has displayed exemplary resilience post-pandemic and rebounded from a contraction of 5.8 % in 2020-21 to a growth of 9.1% in 2021-22, and 7.2% in2022-23.

Listing the key lessons of the post-Covid years, Das said that being proactive and nimble-footed during a crisis gave RBI the agility to respond speedily to evolving developments.

Das said most of the RBI's liquidity injection measures had pre-announced sunset clauses, which helped in an orderly unwinding of liquidity on their respective terminal dates without de-anchoring market expectations.

"Overall, liquidity enhancing measures worth $ 227 billion (8.7 percent of GDP) were announced, of which funds availed were $157.5 billion (6.0 percent of GDP)," he said.

Das said in the last few years the central bank has focussed on strengthening governance and supervisory systems and focussed on identifying and addressing the root causes of vulnerabilities in banks and financial entities rather than dealing with symptoms alone.

"Maintaining the stability of the Indian financial system is integral to our conduct of monetary policy as financial instabilities can undermine economic growth and impede monetary policy transmission. We recognize that the likelihood of financial turbulence would be high if there is no price stability," Das said. **(Details : Economic Time (New Delhi), 14.6.2023)**

टीसीएस की कटौती के मापदंड जल्द जारी होंगे

कर विभाग जल्द ही अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) के रूप में एक स्पष्टीकरण लाएगा ताकि व्यक्तिगत यात्राओं और व्यावसायिक यात्राओं पर किए गए खर्च के बीच अंतर किया जा सके। विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस लगाए जाने के संबंध में यह उपयोगी होगा।

सदस्य निकायों (Member Bodies) के साथ फिक्की के महासचिव की परस्पर संवादात्मक बैठक

Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) की ओर से दिनांक 8 जून 2023 को Interactive meeting of FICCI Secretary General with Member Bodies का आयोजन किया गया।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल Virtual रूप से जुड़े एवं अपना परिचय देते हुए बताया कि **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की स्थापना 1926 में हुई थी जबकि FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी। इसलिए यह हर्ष की बात है कि बिहार चैम्बर FICCI का एक Promoter member है।**

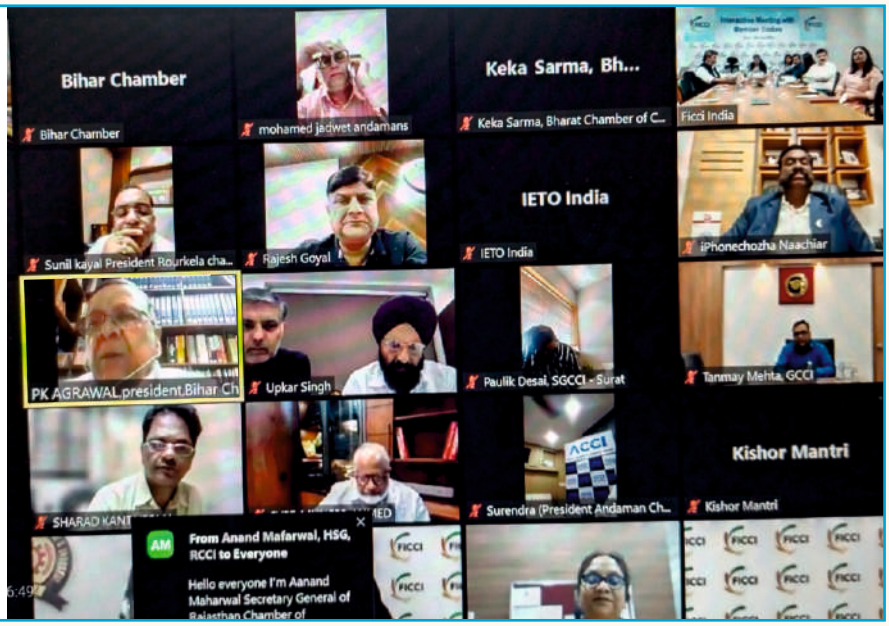

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू जारी कर विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर 20 प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगाने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने वाली है। मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये होने वाले खर्च को उदारीकृत धनप्रेषण योजना के दायरे में लाने का फैसला किया था, जिसके चलते उस पर टीसीएस लागू होता है। इसको लेकर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। एक चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई थी कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को किस तरह से अलग किया जाएगा। इस पर वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और विधायन) रमन चोपड़ा ने कहा कि वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री के साथ काफी चर्चा हुई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.6.2023)

भारत सरकार
कार्यालय आयकर निदेशक (आई एंड सीआई)
तीसरी मंजिल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड, पटना
Email Id : patna. lcl@incometax.gov.in
F. No. DIT/I&CI /Pat./ e-Verlflcation/Misc./2023-24/330
Dated : 15.6.2023

प्रेस विज्ञप्ति

ई-सत्यापन योजना, 2021 पर एक "आउटरीच कार्यक्रम" **15.06.2023 (गुरुवार)** को शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक आयकर निदेशालय (I&CI), पटना द्वारा रिपोर्ट्रिंग संस्थाओं, करदाताओं और उनके प्रतिनिधियों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, पहली मंजिल, राजस्व भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता **श्री सत्येन्द्र मोहन दास, आयकर निदेशक (आई एंड सी आई), पटना** ने की। इस अवसर पर माननीय प्रधान मुख्य आयुक्त (बिहार और झारखंड), पटना और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित थे। पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

इस आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से, आमंत्रितों को आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई ई- सत्यापन योजना-2021 के बारे में सूचित किया गया, जो करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है, उन्हें साक्ष्य के साथ वित्तीय लेन देन की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है और उन्हें विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि करके, धारा 139 (8A), आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत अपने आयकर रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति देती है। दर्शकों में बहुत उत्साह था और उन्होंने कई सवाल पूछे जिनका जवाब उन की संतुष्टि के साथ दिया गया।

यह आउटरीच कार्यक्रम बहुत सफल रहा है।

ह०/-
(रिजबानुर रहमान)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)
कृते: आयकर निदेशक (आई एंड सीआई), पटना

Industry Bodies Seek TCS Parity on all Payment Modes

GOVT CLARIFICATION AMBIGUOUS'

% Govt clarification that Int'l credit and debit card spends of up to ₹7 lakh on foreign travel will be excluded from LRS limits is 'ambiguous'

A host of industry bodies such as ASSOCHAM, FICCI, Internet and Mobile Association of India (IAMAI), World Travel and Tourism Council India Initiative, Travel Agents Association of India (TAAI), Indian Association of Tour Operators (IATO), PHD Chamber of Commerce and Industry and Travel Agents Federation of India (TAFI) have sent a combined representation to the finance minister, RBI, and the tourism minister seeking TCS (tax collection at source) parity on all payment modes and holiday packages.

As per the letter sent on June 5 and seen by ET, the industry bodies said the recent clarification given by the government that international credit and debit card spends on foreign travel up to ₹ 7 lakh will be excluded from LRS limits is 'ambiguous'.

It puts Indian domestic tour agents at 'existential risk' as there is still a 20% TCS applicable on overseas tour packages from July 1.

"The clarification is ambiguous and can, in its current format, lead to levying TCS on smaller transactions, putting "Indian domestic travel agents at existential risk and disadvantage against overseas service providers such as overseas hotels, tour operators, online service providers or aggregators," the letter stated. "Unlike overseas service providers, domestic travel agents pay GST and relevant taxes on all bookings made through them. With the current clarification, we believe that the loss of GST for the government of India on bookings of domestic travel agents will be far higher than the net TCS collected if such bookings are made by Indian consumers through overseas service providers," it added.

The signatories from the industry bodies stated in the letter that the ₹7 lakh limit threshold should be granted under section 206 C(1G) of income fax rather than LRS provisions under FEMA so that it applies to both LRS remittances and the sale of overseas tour packages.

They also said the threshold should be applicable across all modes of payments, domestic and international debit and credit cards, net banking or UPI enabled, payments and prepaid forex cards.

(Source : Economic Time (New Delhi), 7.6.2023)

लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से भेंटवार्त्ता

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को शॉल एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानित करते लखीसराय चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र प्रसाद, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विकास कुमार, मंत्री श्री नीरज कुमार, कोषाध्यक्ष श्री विवेक नन्दन। साथ में बिहार चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सांवल राम डूोलिया।

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल से विचार-विमर्श करते लखीसराय चैम्बर के नवनिर्वाचित अधिकारीगण। साथ में बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सावल राम डूोलिया।

दिनांक 03 जून 2023 को लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित पदाधिकारी श्री विकास कुमार, अध्यक्ष, श्री नीरज कुमार, मंत्री, श्री विवेक नंदन साहू, कोषाध्यक्ष तथा निवर्तमान अध्यक्ष श्री रामचन्द्र प्रसाद चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल से औपचारिक भेंट की एवं पुष्पगुच्छ तथा शॉल भेंटकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री सावल राम डूोलिया उपस्थित थे।

सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना कैबिनेट से मंजूर, 1 लाख करोड़ रु. आवंटित

कैबिनेट ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में दो हजार टन की क्षमता वाला गोदाम बनाया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया केन्द्र सहकारी समितियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए नीति पेश करेगा। सरकार इसके लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इसकी निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का भी गठन किया गया है। यह देश की खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं के विस्तार की योजना का हिस्सा है। देश की वर्तमान में भंडारण क्षमता 14.5 करोड़ टन है। नई योजना के तहत सहकारी समितियाँ 7 करोड़ टन क्षमता जोड़ेगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 1.6.2023)**

विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों में होंगे बड़े बदलाव

आरबीआइ ने तैयार किया विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून में बदलाव का एजेंडा, वित्त मंत्रालय को भेजा

विदेशी मुद्रा को देश में लाने या दूसरे देशों में पैसे ले जाने या निवेश करने के मौजूदा तौर-तरीके में एक और बड़े बदलाव की तैयारी है। वैश्विक अर्थ पटल पर मौजूद अवसरों का पूरा फायदा उठाने और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से इन बदलावों का एजेंडा आरबीआइ ने तैयार किया है। यह बदलाव विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून, 1999 (फेमा) में किया जाएगा। इसकी जानकरी हाल ही में केन्द्रीय बैंक की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट में दी गई है। इसके जरिये निर्यातकों को भी सहूलियत होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये के लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारतीय उद्यमियों को विदेशी बाजारों से ज्यादा कर्ज लेने की भी छूट मिलेगी।

कारोबारियों पर कम हो सकेगा नियमों का बोझ : फेमा में उक्त बदलावों का एक बड़ा उद्देश्य आरबीआइ ने यह बताया है कि देश में विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी तरीके से होने वाले कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग सके। साथ ही देश की इकोनमी में जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से फेमा कानून को तैयार किया जा सके। कारोबारियों पर नियमों का बोझ कम किया जा सके। हालांकि इन बदलावों के साथ इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि रुपये की कीमत में सामान्य तौर पर ही बदलाव हो और इस पर अचानक कोई बाहरी दबाव न हो जिससे एक्सचेंज वैल्यू पर असमान्य बदलाव दिखाई दे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.6.2023)

बड़ा मौका देख भारत पर दांव लगा रहे दिग्गज ग्लोबल बैंक

12 दूसरे देशों में कारोबार समेट या छोटा कर रहा एचएसबीसी

दुनियाभर के दिग्गज बैंक भारत पर दांव लगा रहे। एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डीबीएस इनमें शामिल हैं। इनकी तैयारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा बैंक एचएसबीसी भारत समेत पूरे एशिया में मौजूदगी बढ़ाने के लिए 12 देशों में कारोबार समेट या छोटा कर रहा है। भारत के लिस्टेड बैंकों में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई है, लेकिन कुल बिजनेस में इनका हिस्सा बेहद कम है। बैंकिंग एक्सपर्ट सुलोचना देसाई के मुताबिक, विदेशी बैंक ये अंतर पाटना चाहते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण करने वाला डीबीएस बैंक ब्रांच बढ़ा रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी भारत में विस्तार की बात कहीं है, पर एचएसबीसी का विस्तार, आक्रामक हो सकता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 1.6.2023)**

कोयले का अकूत भंडार फिर भी नहीं मिल रहे खरीदार

• चार कोल ब्लॉक का दो बार हुआ टेंडर, नहीं आई कंपनियाँ • अब तीसरी बार निकला टेंडर, 27 जून तक लिया जाएगा बिड

भागलपुर जिले के कहलगाँव और पीरपैंती में कोयले का अकूत भंडार है। फिर भी कोल ब्लॉक के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जिले के सभी चार कोल ब्लॉक का दो बार टेंडर किया गया। लेकिन कोई ठेका कंपनी नहीं आई।

अब कोयला मंत्रालय ने फिर से तीसरी बार टेंडर किया है। टेंडर 27 जून तक लिए जाएंगे। इसका टेक्निकल बिड 28 जून को खुलेगा। इस बिड का मूल्यांकन 30 जून से 21 जुलाई तक चलेगा। इसमें सफल एजेंसियों का फाइनेंशियल बिड 24 जुलाई को खुलेगा। इसमें सफल एजेंसी को प्राधिकरण द्वारा 11 अगस्त को नामित किया जाएगा। इसके बाद ही कोयला खदान से कोयले निकाले जा सकेंगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.6.2023)**

आयकर विभाग द्वारा ई-सत्यापन योजना, 2021 पर आउटरीच कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को बूके भेंटकर स्वागत करते आयकर अधिकारी।

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं वरीय सदस्य श्री आशीष प्रसाद।

दिनांक 15 जून 2023 को आयकर विभाग द्वारा **ई-सत्यापन योजना, 2021 पर एक "आउटरीच कार्यक्रम** का आयोजन राजस्व भवन में किया गया। **कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सत्येन्द्र मोहन दास, आयकर निदेशक (आई एण्ड सीआई), पटना ने की। इस अवसर पर माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार और झारखण्ड) पटना** और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

इस आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रितों को आयकर विभाग द्वारा शुरू की गयी ई-सत्यापन योजना-2021 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं वरीय सदस्य श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया।

9 साल में टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा और केन्द्र सरकार का कर्ज भी

- **2014-15 से अब तक केन्द्र का कर्ज 100 लाख करोड़ बढ़ा**
- **9 साल में टैक्स कलेक्शन में 19.04 लाख करोड़ की वृद्धि**

रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन, कॉरपोरेट ग्रोथ, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जैसी सफलताओं के बीच सरकार के बही-खाते में एक दिलचस्प ट्रेंड देखा गया है। बीते 9 साल में भारत सरकार पर कर्ज बढ़कर तीन गुना हो गया और उसी दौरान टैक्स कलेक्शन में भी इतनी ही बढ़ोतरी हुई।

जीडीपी ग्रोथ और टैक्स के मुकाबले सरकारी कर्ज में सबसे तेज बढ़ोतरी

मद	2013-14	22-23	सालाना ग्रोथ
सरकारी कर्ज	55	155	12.2%
टैक्स कलेक्शन	11.39	30.43	11.53%
जीडीपी	124.67	272.04	9.06%

(आँकड़े लाख करोड़ में)

आजादी के बाद शुरुआती 66 साल में यानी 1947-48 से 2013-14 के बीच सरकार का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन 2014-15 से 2022-23 के बीच यह सालाना 12.2% बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गया। महज नौ साल में सरकार के कर्ज में 100 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सरकार पर कर्ज का बोझ ऐसे समय बढ़ा है, जब बीते 9 साल में टैक्स कलेक्शन भी करीब तीन गुना हो गया है। 2014-15 से 2022-23 के बीच टैक्स कलेक्शन 11.39 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30.43 लाख करोड़ हो चुका है। इसमें सालाना 11.53% बढ़ोतरी हुई। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.6.2023)**

आनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की बढ़ी संख्या

नगर निगम में आनलाइन होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क जमा करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। 50 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने आन लाइन पमेंट किया है।

नगर निगम की बेवसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx एवं https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम एवं गूगल पे सहित अन्य माध्यमों द्वारा बेबसाइट पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.6.2023)**

जल्द ही एक बीमा सभी जोखिम से सुरक्षा देगा

बीमा विनियामक इरडा जल्द ही ऐसी योजना ला सकता है, जिसके तहत स्वास्थ्य, जीवन, वाहन व अन्य बीमा अलग-अलग खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एक ही बीमा पॉलिसी में ये सब शामिल होंगे। इसके साथ ही इनके दावों का निपटान भी कुछ ही घंटों में किया जा सकेगा। इरडा ने इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही मंजूरी के लिए इसे सरकार के पास भेजा जाएगा।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के अध्यक्ष देबाशीष पांडा के अनुसार, देश में बीमा बहुत कम लोग कराते हैं। इसे देखते हुए बीमा के विस्तार को बढ़ाने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए इरडा नया किफायती उत्पाद तैयार कर रहा है, जो पूरी तरह से समावेशी होगा। इसमें नागारिकों को कई जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही दावे निपटान के मामलों को कॉमन प्लेटफॉर्म से जोड़कर तेजी से निपटाया जाएगा।

बीमा उद्योग में आएगा क्रांतिकारी बदलाव : इरडा के अनुसार, इस योजना के जरिए बीमा उद्योग में बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सामान्य और जीवन बीमा फर्मों का सहयोग अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह बदलाव यूपीआई जैसा हो सकता है। जैसे यूपीआई की पहुँच आम आदमी तक हुई है, वैसे ही इस योजना का फायदा समाज के हर तबके तक पहुँचेगा।

'बीमा सुगम' से जुड़ेगी : इस योजना को इरडा की एक और महत्वाकांक्षी कार्ययोजना बीमा सुगम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। यह एक आनलाइन पोर्टल है, जिस पर इरडा काम कर रहा है। यहाँ सभी बीमा कंपनियों के उत्पाद होंगे, जिन्हें ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकेंगे।

सुगम के फायदे : • ई-इंश्योरेंस खाता में जीवन, वाहन और स्वास्थ्य समेत सभी तरह के बीमा देख सकेंगे • सभी पॉलिसी के लेनदेन और दस्तावेज

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली की समन्वय बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष शामिल हुए

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग की अध्यक्षता में जल-जीवन- हरियाली के तहत वर्त्तमान मानसून काल में पौधा रोपण हेतु समन्वय बैठक का आययोजन दिनांक 21 जून, 2023 को अरण्य भवन, पटना में किया गया। इस बैठक में चैम्बर की ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर सम्मिलित हुए।

बैठक में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर (दाँयीं ओर से प्रथम)।

सहित अन्य जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी • पॉलिसी की तारीख, नामांकन समेत अन्य जानकारी मिलेगी।

दावों का कुछ ही घंटों में निपटान होगा : प्रस्तावित योजना में जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं के लिए एक ही सुरक्षा जोखिम कवर होगा। इसका फायदा यह होगा कि इसके तहत आने वाले दावों क निपटान तेजी से किया जा सकेगा। ग्राहक के बैंक खाते में दावे का पैसा 6 से 8 घंटे भीतर आ जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 3.6.2023)**

पूंजीगत लाभ पर कब मिलता है कटौती का फायदा

आयकर अधिनियम, 1961 के चैप्टर 6ए की अलग-अलग धाराओं (80सी से 80 यू तक) के तहत डिडक्शन यानी कर योग्य आय में कटौती के प्रावधान किए गए हैं। इन सभी धाराओं के तहत निवेश, खर्च और दान पर आय में कटौती का फायदा मिलता है।

मसलन आप लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) में निवेश करते हैं, अपने बच्चे की पढाई के लिए ट्यूशन फी देते हैं... तो आपको धारा 80सी के तहत कटौती का फायदा मिलेगा। अगर आप अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए प्रीमियम चुकाते हैं तो उस पर आपको 80 डी के तहत कटौती का फायदा मिलता है। इसी तरह आप कई दूसरे प्रकार के खर्च और निवेश पर भी इस चैप्टर की अलग-अलग धाराओं के तहत कटौती का फायदा उठा सकते हैं। कुल सकल आय (ग्रॉस इनकम) में कटौती के बाद कर योग्य आय बचती है। इसी आय पर कर चुकाना है, इसलिए कटौती के कारण कर देनदारी में भी कमी आ जाती है लेकिन आप वेतनभोगी नहीं हैं और आपको अपनी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ यानी पूंजीगत लाभ हुआ है तो क्या उस पर भी इस चैप्टर की अलग-अलग धाराओं के तहत कटौती का फायदा लिया जा सकता है?

क्या कहते हैं नियम

दीर्घावधि पूंजीगत लाभ है तो....

नियमों के अनुसार यदि कोई पूंजीगत संपत्ति बेचने से आपको दीर्घावधि पूंजीगत लाभ होता है तो उस लाभ पर आपको किसी भी धारा के तहत कटौती का फायदा नहीं मिल पाएगा। **(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 5.6.2023)**

संपत्ति के मूल दस्तावेज खोने पर बैंक ग्राहक को देंगे जुर्माना

आरबीआइ के पूर्व डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व वाली समिति ने की दस्तावेज वापस करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने की सिफारिश

अगर बैंक संपत्ति के मूल दस्तावेज खो देता है उसे ग्राहक को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। आरबीआइ द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने यह सिफारिश की है। ग्राहक सेवा मानक को ध्यान में रखकर इस समिति का गठन पिछले साल मई में किया गया था।

आरबीआइ के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो के नेतृत्व वाली समिति ने इस साल अप्रैल में केन्द्रीय बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें ही इस तरह की सिफारिश की गई थी। आरबीआइ ने समिति की सिफारिशों पर सात जुलाई तक सभी पक्षकारों से राय मांगी है। समिति ने सुझाव दिया है कि आरबीआइ लोन अकाउंट बंद करने की तारीख से व्यक्ति को संपत्ति के दस्तावेज वापस करने के लिए बैंकों के लिए एक समयसीमा निर्धारित करने पर विचार करे। इतना ही नहीं अगर बैंक इस समयसीमा के भीतर संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में असमर्थ रहता है और दस्तावेजों की वैकल्पिक प्रतियों की व्यवस्था करने में समय लगता है तो इस दौरान ग्राहक को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए। आरबीआइ को कई शिकायतें मिली हैं कि बैंकों को समय पर कर्ज चुकाने के बाद भी संपत्ति के दस्तावेजों को वापस करने में बहुत समय लगाते हैं। संपत्ति के मूल दस्तावेज आवश्यक हैं, क्योंकि वे स्वामित्व स्थापित करने और विवादों को रोकने में मददगार होते हैं। ये दस्तावेज भविष्य के लेनदेन और संपत्ति से संबंधित अन्य मामलों में भी उपयोगी होते हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2023)

चेक बाउंस होने पर जाना पड़ सकता है जेल

खाते में पर्याप्त धनराशि रखें, चेक विवरण सही और स्पष्ट रूप से भरें और सुनिश्चित करें कि आपका हस्ताक्षर बेमेल न हो

तीन मामलों के सुर्खियाँ बटोरने के साथ चेक बाउंस एक बार फिर खबरों में है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यवसायी को चेक बाउंस होने पर तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और चेक पर अंकित राशि की दोगुनी रकम चुकाने को भी कहा। गुजरात की एक महानगरीय अदालत ने एक व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराधों को किसी भी स्तर पर सुलझाया जा सकता है।

चेक बाउंस क्या होता है? : चेक बाउंस या 'चेक का अनादर' तब होता है जब रकम पाने वाला (जिसके नाम पर चेक काटा गया है) कुछ वजहों से चेक का उपयोग कर पैसे निकालने में असमर्थ होता है। यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट), 1881 द्वारा कवर किया गया है, जिसका उद्देश्य बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि के बिना चेक जारी करने से रोकना है और पीड़ित पक्ष को कानूनी उपाय प्रदान करता है।

अपर्याप्त राशि : एनआई एक्ट की धारा 138 में चेक बाउंस होने की दो वजह बतायी गई हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील कहते हैं, 'पहला, खाते में अपर्याप्त धनराशि। दूसरा, अगर चेक की राशि खाताधारक द्वारा बैंक के साथ की गई व्यवस्था से अधिक है। दूसरी वजह का तात्पर्य यहाँ चेक की राशि का खाते की निकासी सीमा से अधिक होने को लेकर है।

समय के साथ कई अन्य वजह भी सामने आई हैं।

बेमेल हस्ताक्षर या अंक : चेक पर भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर और बैंक के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर अगर आपस में मेल नहीं खाते हैं तो चेक वापस किया जा सकता है। **(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड (कोलकाता), 5.6.2023)**

चैम्बर में इंडोनेशिया के दिल्ली दूतावास के पदाधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर वार्त्ता सम्पन्न

बैठक को संबोधित करते श्री बोना कुसुमा, Trade Atteche, इंडोनेशिया दूतावास नयी दिल्ली। उनकी बायीं ओर श्री स्लामेट बुड़ी संतोषो, संचार सहायक एवं सुश्री अपर्णा व्यापार सहायक। दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ इंडोनेशिया के दिल्ली दूतावास के Trade Attache श्री बोना कुसुमा ने चैम्बर प्रांगण में दिनांक 19 जून, 2023 को द्विपक्षीय व्यापार पर वार्त्ता की ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत एवं इंडोनेशिया ने अपने संबधों कि स्थापना के बाद से ही घनिष्ट सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्पर्को को साझा किया है। उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया एशियन क्षेत्र में भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक भगीदार है। वर्ष 2007 में द्विपक्षीय व्यापार 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2021 में बढ़कर 21.01 हो गया। भारत ने वितीय वर्ष 2021 में इंडोनेशिया को 3,987 प्रकार के वस्तुओं का निर्यात किया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत से इंडोनेशिया को निर्यात किये जानेवाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज इंधन, खनिज तेल, बिटुमिन्स पदार्थ – खनिज मोम, शक्कर एवं चीनी कन्फेक्शनरी आदि है। भारत द्वारा इंडोनेशिया से आयत की जानेवाली प्रमुख वस्तुओं में कोयला, कोक, ब्रिकेट और वनस्पति तेल आदि है।

इस अवसर पर इंडोनेशिया के दिल्ली दूतावास के Trade Attache श्री बोना कुसुमा ने बताया कि भारत के मुकाबले इंडोनेशिया का निर्यात अधिक है। उन्होंने बताया कि ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर, 2023 तक ऑफ लाइन एवं ऑन लाइन दोनों माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उक्त एक्सपो में भाग लेने का अनुरोध, चैम्बर सदस्यों से किया। उन्होने आगे बताया कि आयात एवं निर्यात से सम्बन्धित सभी वस्तुओं कि सूची एम्बेसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने चैम्बर सदस्यों से इंडोनेशिया आकर व्यापार की सम्भावनाओं की जानकारी प्राप्त करने का भी अनुरोध किया ।

श्री बोना कुसुमा को चैम्बर का मेमेन्टो एवं अंगवस्त्रम् भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी०के० अग्रवाल साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर।

इस बैठक में इंडोनेशिया के दिल्ली दूतावास के स्लामेट बुडी संतोसो, संचार सहायक एवं सुश्री अपर्णा, व्यापार सहायक भी शामिल थे।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ने श्री कुसुमा को चैम्बर का मेमेण्टों एवं अंगवस्त्रम् तथा उनके सहयोगियों को अंग वस्त्रम् भेंटकर सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, सुभाष कुमार पटवारी, ए०के०पी० सिन्हा, पशुपति नाथ पाण्डेय, आशीष शंकर, आशीष प्रसाद, अजय गुप्ता, पवन भगत, राजेश मखरिया, सांवल राम डोलिया, राजेश खेतान, राजा बाबू गुप्ता के साथ-साथ काफी संख्या में सदस्य सम्मलित हुए।

वेतनभोगी खाते से बार-बार लेन-देन करें तो बैंक केवाईसी न मांगें, ट्रांजेक्शन भी नहीं रोकें

वेतनभोगी बार-बार बैंक खाते से पैसे निकालते और जमा करते हैं। सिर्फ इसी आधार पर इनके खाते हाई रिस्क श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। छात्रों के खातों को भी इसी कारण जोखिम की श्रेणी में डाल दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की कमेटी ने इसे गलत माना है। सिफारिश की है कि ऐसे ग्राहकों के खाते लो रिस्क श्रेणी में रखे जाएँ। बैंक हाई रिस्क खातों की केवाईसी नियमित अंतराल पर करता है। ग्राहक समय पर नाम-पते का प्रूफ लेकर बैंक नहीं पहुँचें तो खाते में लेन-देन रोक दिया जाता है। इससे उन्हें परेशानी होती है।

कमेटी ने कहा है कि बार-बार केवाईसी न मांगी जाए। ग्राहक न दें तो उनके खातों पर रोक न लगे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई थी।

कमेटी ने कहा है कि वेतनभोगियों के खातों को हाई रिस्क पर रखना सही नहीं है, चाहे वे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही क्यों न हों।

क्लेम सेटल: 30 दिन के भीतर करें

1. आंतरिक लोकपाल की सैलरी के लिए अलग फंड : बैंकों के पास अपने लोकपाल होते हैं। ग्राहकों की शिकायतों का रिपटारा सबसे पहले आंतरिक लोकपाल ही करते हैं। ग्राहकों की शिकायत रहती है कि ये अधिकतर बैंक के पक्ष में फैसले देते हैं। • **सुझाव :** इनकी सैलरी के लिए आरबीआई ग्राहक जागरूकता मद में फंड बनाए। क्योंकि, बैंक से सैलरी लेने से वे खुद को बैंक कर्मी ही मानते हैं।

2. नामिनी को 30 दिन में क्लेम दें : बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की 48वीं बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष शामिल हुए

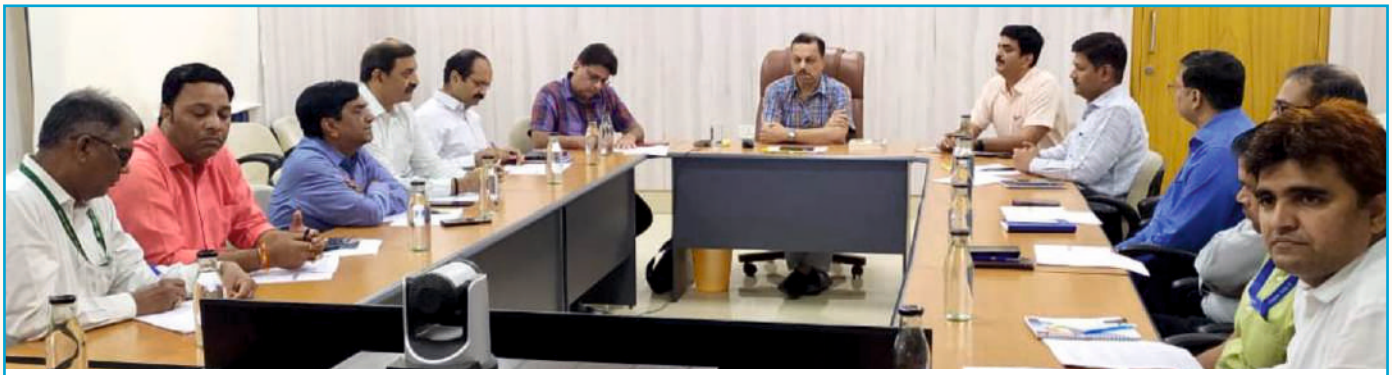

बैठक में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर (बाँयीं ओर से चौथे)।

विकास आयुक्त, बिहार श्री विवेक कुमार सिंह, भा. प्र. से. की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की 48वीं बैठक दिनांक 27 जून 2023 को उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर सम्मिलित हुए।

शिकायतें खातों के संचालन से जुड़ी हैं। खाताधारक के निधन के बाद परिजनों को क्लेम लेने में परेशानी होती है। • **सुझाव :** सभी जरूरी दस्तावेज जमा होने के 30 दिन के भीतर क्लेम सेटल करना सुनिश्चित करें।

3. मिस सेलिंग पर रोक लगे : कमीशन व बाध्यताओं के चलते बैंक कर्मचारी बीमा और म्यूचूअल फंड समेत दूसरे निवेश उत्पाद ग्राहकों को देते हैं। • सुझाव : बैंक पड़ताल करें कि ये उत्पाद कैसे-बेचे जा रहे हैं। वे इंटरनल ऑडिट से पता लगाएँ कि ये उत्पाद ग्राहकों पर दबाव बनाकर तो नहीं बेचे जा रहे। रोक लगाने के उपाय किए जाएँ।

ये भी सिफारिशें : • बैंक में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ग्राहक को चोट लगे तो बैंक जिम्मेदार होगा। इलाज और हर्जाने के लिए बैंक पर्याप्त बीमा करवाएँ। • एटीएम में टैक्स टू स्पीच सॉफ्टवेयर और चैटबॉट लगाएँ। ट्रांजेक्शन फेल हो तो वजह बताने के लिए स्क्रीन पर प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले हो।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.6.2023)

केन्द्रीय करों में से बिहार को मिलेंगे 11897 करोड़

एडवांस किस्त के रूप में बिहार को यूपी के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी

केन्द्र द्वारा राज्यों को जून 2023 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त जारी की गयी है। ताकि राज्य इस राशि से अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सके। बिहार को टैक्स डिवॉल्यूशन की एडवांस किस्त की राशि रूप में 11897 करोड़ मिलेगी। इस मद से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राशि मिलने वाली है। दूसरे नंबर पर बिहार है। उत्तर प्रदेश को 21218 करोड़ मिलेगी। उल्लेखनीय है के बिहार के वर्ष 2023-24 के बजट में केन्द्रीय करों को हिस्सेदारी के रूप में 102737 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मद की राशि राज्य सरकार को 14 किस्तों में मिलती है। तकरीबन बिहार को हर महीने आठ हजार करोड़ की राशि केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलती है। केन्द्र टैक्स डिवॉल्यूशन पूल से नियमित किस्त जारी करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है, इस राशि से पूंजीगत व्यय में तेजी आयेगी। राज्य सरकार अपने हिसाब से विकास और कल्याण संबंधी कार्यों पर राशि खर्च कर सकती है। वहीं, प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए भी संसाधन उपलब्ध करवा सकती है।

टैक्स डिवॉल्यूशन क्या है? इसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है?

संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ए) में निर्धारित वित्त आयोग के मुख्य कार्यों में से एक संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना है। क्योंकि केंद्रीय करों की शुद्ध आय में राज्यों का हिस्सा, केन्द्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण का प्रमुख माध्यम है। वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 2021-26 के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% निर्धारित किया गया है। यह 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2015-20 के लिये की गयी अनुशंसा 42% से 1% कम है। इस 1% का समायोजन नव गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है जिन्हें केन्द्र से धनराशि दी जाएगी। इस 41% में बिहार की हिस्सेदारी 10.06% निर्धारित की गयी है। **(साभार : प्रभात खबर, 14.6.2023)**

राज्य के 8 उत्पाद जी आई टैग की दौड़ में

- **जीआई जर्नल में दावा-आपत्ति के लिए किया गया है प्रकाशन**
- **रजिस्टर में दर्ज होने के बाद 10 वर्षों के लिए मिलता है प्रमाण पत्र**

राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा उत्पाद भौगोलिक संकेतक निबंधन (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन-जी आई रजिस्ट्रेशन) की दौड़ में शामिल हैं। इनमें गया की खोवा लाई और अनारसा का नाम जुड़ गया है।

भौगोलिक पंजीयक निबंधक (रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) के पास पहले से गया का तिलकुट, उदवंतनगर का खुरमा, सीतामढ़ी की बालूशाही, हाजीपुर का केला, नालंदा की बावनबुटी और गया का पत्थलकटी स्टोन क्राफ्ट के आवेदन स्वीकृति मिलने के बाद जीआई चिह्न प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। आवेदन स्वीकृति के तीन महीने के अंदर जी आई जर्नल में दावा-आपत्ति का प्रकाशन अनिवार्य होता है। कोई आपत्ति नहीं मिलने पर जीआई रजिस्टर में उत्पाद को दर्ज कर 10 वर्षों के लिए जीआई प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

नाबार्ड के सहयोग से आवेदन : बिहार के उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सहयोग मिल रहा है। जी आई निबंधन कार्यालय में आठ में से छह उत्पादों का आवेदन नाबार्ड के सहयोग से हुआ है।

इनमें नालंदा की बावनबुटी, गया का पत्थलकटी स्टोन क्राफ्ट, तिलकुट, उदवंतनगर का खुरमा, सीतामढ़ी की बालूशाही और हाजीपुर के केला का आवेदन शामिल है। इसके लिए नाबार्ड का बजट 13.20 लाख है। उत्पादों को जीआई टैग दिलाने का कार्य नाबार्ड ने बनारस के सारनाथ स्थित एजेंसी को सौंपा है। नाबार्ड के अधिकारी बताते हैं कि अगले कुछ महीने में राज्य को आधा दर्जन जीआई टैग वाले उत्पाद मिलेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.6.2023)**

झारखण्ड के चार उद्योगों की नीलामी करायेगा बिहार, निविदा भी जारी

बिहार स्टेट क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बिसिको) झारखण्ड स्थित चार उद्योगों की नीलामी करायेगा। नीलामी की निविदा भी जारी कर दी गयी है। बिसिको द्वारा सेल नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि इन कंपनियों के प्रमोटर लोन के भुगतान में डिफाल्टर हैं। इन्हें कई बार नोटिस देकर भुगतान के लिए कहा गया पर इन्होंने भुगतान नहीं किया। अब कंपनी द्वारा इन

उद्योग मित्र के निदेशक पर्षद एवं आम सभा (AGM) की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

उदयोग मित्र के निदेशक पर्षद एवं आम सभा (AGM) की बैठक दिनांक 26 जून 2023 को श्री पंकज दीक्षित, भा. प्र. से., उद्योग निदेशक, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई।

बैठक में श्री संजीव कुमार, भा. प्र. से., निदेशक (तकनीकी), उद्योग विभाग भी उपस्थित थे। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित हुए।

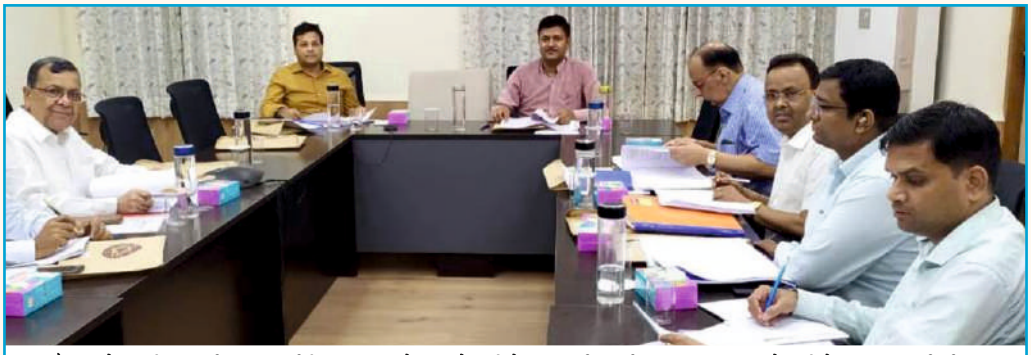

बैठक में उपस्थित श्री पंकज दीक्षित, भा.प्र.से., उद्योग निदेशक, श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से., निदेशक (तकनीकी), श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष (बाँयीं ओर से प्रथम) एवं अन्य।

डिफॉल्टर के खिलाफ एसएफसी एक्ट 1951 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जहाँ है, जैसा है, की स्थिति में इन कंपनियों की जमीन समेत प्लांट एवं मशीनरी की नीलामी की जायेगी। नीलामी की प्रक्रिया एमएसटीसी इ-कॉमर्स के वेबसाइट के माध्यम से की जायेगी। इच्छुक लोगों को बिसिको कार्यालय में आकर पेपर जमा कर साइट इन्सपेक्शन की सुविधा दी गयी है। गौरतलब है कि इसके पूर्व बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआइडीसी) द्वारा राँची स्थित हाइटेंशन इंश्यूलेटर फैक्ट्री की जमीन बेच दी गयी थी।

परिसंपत्तियों को लेकर आज भी है बिहार-झारखण्ड में विवाद : बिहार-झारखण्ड में परिसंपत्तियों को लेकर आज तक विवाद चल रहा है। बीएसआइडीसी के झारखण्ड स्थित फैक्ट्रियों की परिसंपत्ति देने के एवज में बिहार सरकार सारी देनदारी भी झारखण्ड को ही उठाने की बात कह रही है। इस कारण आज तक यह विवाद सुलझ नहीं सका है।

इन कंपनियों की होगी नीलामी : मिनरल एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज गोड्डा, नरसिंह सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऋषि सीमेंट कंपनी लिमिटेड, रामगढ़ और निरंजन टेक्सटाइल लिमिटेड, जसीडीह

(साभार : प्रभात खबर, 11.6.2023)

राजधानी के कई इलाकों में मीटर लगाने का हो रहा विरोध, विभाग को हो रही दिक्कत

स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का काटा जाएगा कनेक्शन

• 4.5 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं बिजली उपभोक्ताओं के घर • पेसू अब विरोध करने वाले उपभोक्ताओं पर करेगा कार्रवाई • दो लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगाना बाकी

स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में अब भी अधिक बिजली खपत की धारणा बनी हुई है। इसकी लेकर उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के अलग-अलग इलाके कदमकुआँ, पटना सिटी, गुलजारबाग, दानापुर, खगौल, कंकड़बाग टू में रोज स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। बिजलीकर्मियों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है।

मीटर लगाने वाली एजेंसी के साथ बिजलीकर्मियों की टीम जा रही है लेकिन उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है।

कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिजली-कर्मी उपभोक्ताओं के इस रवैये से परेशान होकर निर्णय लिए हैं कि ऐसे उपभोक्ता की घर की बिजली काटी जाएगी। हर उपभोक्ता के लिए स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य किया गया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 12.6.2023)

Plastic ban created awareness but stricter enforcement needed

Getting Smaller Businesses To Comply With Rules, Introducing Compostable Plastics, And Finding Ways To Recycle Multilayer Plastics Are Some Of The Challenges Ahead

From milk pouches to car dashboards, plastics have become indispensable in recent years, but they have also created the problem of toxic waste that's an environmental hazard as well. On its part, the government has tried to curb plastic waste through various rules. Almost a year ago, from July 1,2022, it banned some single-use plastic (SUP) articles, and from December 31,2022, it prohibited the manufacturing, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags thinner than 120 microns (one micron is a thousandth part of a millimetre).

Have these rules worked? Experts say they have certainly created awareness and produced some results. Nonetheless, half of India's plastic waste remains unprocessed every year, leading to soil and water pollution. Lax enforcement is partly to blame, but the absence of alternatives for certain types of plastics and incentives for waste processing are also responsible.

"While many SUP items were included in the phase-out list, multilayered plastics (MLPs) were kept out of it as there is no viable way to recycle them," says Suneel Pandey, Director of the environment and waste management division at The Energy and Resources Institute (TERI). Cookie wrappers that look like plastic on the outside and metallic foil on the inside are a type of MLP.

1999/ First law on plastic waste management covers manufacture, sale and use. Bans carry bags less than 20 microns in thickness, and sale of food in recycled plastic

2003/ Rules amended, diluting curbs on carry bags

2011/ Plastic Waste (Management and Handling) Rules notified. Ban on use of plastic sachets for gutkha, tobacco and pan masala. Carry bags less than 40 microns in thickness banned

2016/ New Plastic Waste Management (PWM) Rules notified. They talk about making manufacturers, importers and brand-owners responsible. Two-year deadline to phase out multi-layered plastics proposed, but industries oppose it

2018/ Rules amended in April over industry concerns due to dearth of alternatives. In June, PM Modi pledges to phase out single-use plastic (SUP) by 2022

2019/ Standard guidelines for SUP issued. India bans entry of imported solid plastic scrap in SEZs and export-oriented units

2021/ PWM rules amended to define SUP

2022/ EPR, or extended producer responsibility, guidelines notified for recycling. Some SUP items banned from July 1. Carry bags of less than 120 microns in thickness banned from Dec 31

INDIA'S WAR ON PLASTIC

BANNED PLASTIC ARTICLES : • Flagls • Candy sticks • Ice cream sticks • Earbuds • Sticks for balloons • Polystyrene

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि ने भाग लिया

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 27 जून 2023 को संदीप पौंड्रिक, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई।

उक्त बैठक में कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष शंकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से सम्मिलित हुए।

पीसीसी की बैठक में उपस्थित चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर (दाँयीं ओर से प्रथम)।

(thermocol) for decoration • Plates, cups, glasses, forks, spoons, knives, straws, trays, etc • Wrapping or packaging films around sweet boxes, invitation cards and cigarette packets • Banners thinner than 100 microns • Carry bags thinner than 120 microns

STEPS TAKEN TO MAKE PLASIIC BAN WORK : • Enforcement of ban on manufacturing and sale of SUP articles • Petrochemical industry told to stop supplying raw material to manufacturers of banned SUP goods • Customs told to stop import of banned SUP articles • Leading e-commerce companies (Big Basket, Amazon, Flipkart, etc.) told to stop sale/use of SUP articles on their platform • Penalties like environmental compensation, permit cancellation and closure of operations slapped on violators

THE ROAD AHEAD : • Promote alternatives to single-use plastic (SUP) • Create awareness on phasing out of SUP • Certify manufacturers of compostable plastics • Help petro-based SUP manufacturers transition to alternatives • Test alternative to plastic made from farm stubble at indian institute of science

(Details : T. O. I, 7.6.2023)

पीएसपी से बनाई जाएगी 47 हजार मेगावाट बिजली

• केन्द्र सरकार ने हाल में 1,350 मेगावाट के पीएसपी को महज 70 दिनों में मंजूरी दी • अब पीएसपी परियोजनाओं को सिर्फ 50 दिन में मंजूरी देने की तैयारी कर रही सरकार • वर्ष 2029-30 तक 33 पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने की तैयार में केन्द्र सरकार

पंप्ड स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाना भारत के लिए है तो नई विधा, लेकिन केन्द्र सरकार इसको लेकर काफी उत्साह में है। वजह यह है कि इसकी लागत कम आती है। इससे पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है और सबसे बड़ी बात जरूरत पड़ने पर इससे बिजली बनाकर कमी को बहुत ही कम से समय में पूरा किया जा सकता है।

यह होता है पंप्ड स्टोरेज सिस्टम : पीएसपी या पंप्ड स्टोरेज सिस्टम पनबिजली का ही एक हिस्सा है। इसमें दो जलाशयों की जरूरत होती है। एक भौगोलिक तौर पर ऊपर स्थित होता है और दूसरा निचले हिस्से में। जब ग्रिड में अतिरिक्त बिजली होती है तब नीचे के जलशय से पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है और जरूरत पड़ने पर सामान्य पनबिजली परियोजना की तरह ऊपर से पानी नीचे की तरफ छोड़कर बिजली बनाई जाती है।

देश में लगाये जा सकते हैं 1.19 लाख मेगावाट क्षमता के 109 पीएसपी।

देश में (विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.6.23)

दरभंगा बना देश का नंबर-1 हवाई अड्डा

दरभंगा एयरपोर्ट लगातार नए-नए कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है। एक ओर जहाँ पटना और गया एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं। वहीं, यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट एक बार फिर देश में उड़ान योजना के तहत नंबर वन बन गया है। वर्ष 2021-22 में यहाँ से आने-जाने वाले यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या वर्ष 2022-23 में भी बरकरार है। वर्ष 2022-23 में 6.17 लाख यात्रियों ने यहाँ से सफर किया। इससे पूर्व वर्ष 2021-22 में 6.19 लाख लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आगमन और प्रस्थान किया था।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.6.2023)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
प्रेस विज्ञप्ति

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 में उप-धारा-9 अंत:स्थापित किया गया है, जिसके प्रावधान निम्न् है:-

"9 Whoever uses firearm in a rash or negligent manner or in celebratory gunfire so as to endanger human life or personal safety of others shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to rupees one lakh, or with both.

Explanation. - For the purposes of this sub-section, "celebratory gunfire" means the practice of using firearm in public gatherings, religious places, marriage parties or other functions to fire ammunition."

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 इस विभाग के पत्रांक-3517 दिनांक - 20.05.2020 द्वारा सभी जिला दण्डधिकारियों/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के बीच परिचारित है तथा यह पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 में शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने संबंधी शर्त्तो का अनुपालन न कर आग्नेयास्त्र के अनुचित उपयोग किये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति को यथा विहित समुचित प्रक्रिया अपनाकर अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द किये जाने का प्रावधान है।
4. सी. डब्लू. जे. सी. सं. - 4733/2021 राजीव रंजन सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक - 27.2.2023 को पारित आदेश में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 एवं धारा-25 की उप-धारा-9 के प्रावधानों को शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निदेश दिया गया है।

अतः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस राज्य के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 एवं धारा-25 की उप-धारा-9 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु celebratory gun firings (अनुष्ठानिक या हर्ष गोली-बारी) किये जाने पर इस संबंध में आयुध नियम, 1959 की धारा-17 एवं धारा-25 की उप-धारा-9 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

अवर सचिव
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

(साभार : दैनिक जागरण, 7.6.2023)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमायें और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश 2016 में और संशोधन करने के लिए आदेश पारित किया है।

इसके तहत गेहूँ का स्टॉक हेतु व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर एवं प्रोसेसर्स हेतु सीमाएँ निर्धारित की गई हैं जिसकी सूचना सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करना है और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएँगे। का.आ. 2566 दिनांक 12 जून, 2023 सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी. - डी. एल. - अ. - 12062023-246455
CG-DL-E-12062023-246455
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2453)	नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22,1945
No. 2453)	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/ JYAISHTHA 22,1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 2023

का. आ. 2566 (अ). - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 होगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में, खंड 3 में, उप-खंड (2) में, मद (i) को समाविष्ट किया जाएगा, नामतः-

(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए गेहूँ:

- व्यापारी/थोक विक्रेता : 3000 टन;
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन।
- बिन चेन रिटेलर : प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपुओं पर 3000 टन
- प्रोसेसर्स : वार्षिक संस्थापित क्षमता का **75%, या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके, जो भी कम हो**

3. उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयाँ, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के पोर्टल अर्थात् (https://evegoils.nic. in/wsp/login) पर गेहूँ के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किए जाएंगे।

(फा. सं. 3/1/2007-नीति-III)
सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा. का. नि. 104 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा. का. नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का. आ. संख्या 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का. आ. संख्या 297 (अ) दिनांक 27 फरवरी 2007 और का. आ. संख्या 1488 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2022

पात्रता की शर्तें

- उद्यम 10 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं हो
- उद्यम का वार्षिक टर्नओवर किसी भी वर्ष में 100 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो।
- उद्यम प्रोडक्ट, प्रक्रिया अथवा सेवा के विकास, आविष्कार या सुधार से संबंधित हो अथवा रोजगार सृजन या आर्थिक सम्पदा निर्माण की उच्च मापनीय क्षमता वाला हो।
- स्टार्ट-अप का निबंधन और कार्यालय बिहार में होना चाहिए।
- कपंनी की गतिविधियों पर लागू कर का भुगतान बिहार में होना चाहिए।
- पुरानी कंपनी की पुर्नसंरचना अथवा विभाजन से निर्मित कंपनी को स्टार्ट-अप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

योजना के लाभ

- स्टार्ट-अप को 10 लाख रू. तक का 10 साल के लिए ब्याज मुक्त सीड फंड
- महिला उद्यमी के स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत तथा SC/ST/दिव्यागों के स्टार्ट-अप को 15 प्रतिशत अतिरिक्त फंडिंग।
- एक्सीलेरेशन प्रोग्राम (Rigorous Training for Product Enhancement & Funding) में भागीदारी के लिए 3 लाख रु. तक का अनुदान
- एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क (Success Fees)
- स्टार्ट-अप कंपनी को SEBI Registered Category-I AIFs तथा एंजेल समूह से फंड प्राप्त होने पर अतिरिक्त फंड के रूप में बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट से मैचिंग लोन।

कॉमन फैसिलिटी

- को-वर्किंग स्पेस
- कॉमन शोध और विकास लैब, कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि।
- हाई इन्ड प्रिंटर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की सुविधा।
- कॉमन टेस्टिंग लैब और टूल रूम।
- विधि, लेखा, टेक्नोलॉजी, पेटेंट, निवेश एवं बैंकिग की सामान्य सुविधा।
- स्टार्ट-अप और इन्क्यूबेशन के लिए कम्यूनिटी, इवेन्ट तथा प्रोमोशनल सपोर्ट।
- गोदाम, संग्रहण केन्द्र तथा क्वालिटी एश्योरेंस लैब की सुविधा।

• **कुल पंजीकृत स्टार्ट-अप : 378 • स्वीकृत सीडफंड : 37.65 करोड़ रु.**

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें :-
Web.: https://startup.bihar.gov.in • Email : startup.bihar@gov.in
फोन 18003456214 पर सम्पर्क करें।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.6.2023)

EPFO to Become Affiliate Member of ISSA, Get Global Recognition

The Employees' Provident Fund Organisation will soon gain access to professional guidelines, expert knowledge, services and support from the International Social Security Association (ISSA) for its pension subscribers while gaining international recognition as a full administrative social security institution. The move comes after the central board of trustees of EPFO gave its go ahead to the retirement fund body to change its membership status with ISSA from associate member since1962 to affiliate member now.

This, however, comes at a cost as the annual membership fees for an affiliate member, based on the number of pension subscribers of EPFO, will be ₹ 2.14 crore compared with ₹ 10.34 lakh for an associate member, show the minutes of the CBT meeting of EPFO held in the last week of March.

From India, only the Coal Mines Provident Fund Organisation is an ISSA affiliate member. The government is of the view that EPFO has the capacity to play leading role among global institutions providing social security. It's one of the largest social security organisations having among the largest number of beneficiaries of the social security schemes administered by the government. "With the approval of CBT for a higher payout on ISSA membership, EPFO will play a greater role at the global platform of social security, commensurate with the size and stature of EPFO as an organisation," a senior government official said.

With this membership upgradation, retirement fund body EPFO will now be entitled to the right to vote in the General Assembly said the official. **(Source : E. T. (New Delhi), 12.6.2023)**

पटना से घट जायेगी सारण, सीवान, गोपालगंज और यूपी के देवरिया, गोरखपुर समेत कई इलाकों की दूरी

सोनपुर-छपरा रेलखंड : गोविन्द चक रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया गया आरओबी जल्द होगा चालू

सोनपुर छपरा रेलखंड पर सोनपुर व परमानदपुर स्टेशनों के बीच गोविन्द चक रेलवे क्रॉसिंग पर बनाये गये आरओबी के चालू हो जाने से छपरा-हाजीपुर फोरलेन और जेपी सेतु की कनेक्टिविटी आसान हो जायेगी। यही नहीं, पटना से सारण, सीवान, गोपालगंज व वैशाली समेत यूपी के देवरिया, गोरखपुर व पडरौना का सफर आसान हो जायेगा।

इस आरओबी के शुरू हो जाने के बाद निर्माणाधीन छपरा हाजीपुर निर्माणाधीन फोरलेन सड़क से बजरंग चौक होते वाहन बहुत कम समय में जेपी सेतु के सहारे राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। इससे महात्मा गाँधी सेतु पर वाहनों का दबाव घटेगा। छपरा से पटना पहुँचने में यात्रियों को एक घंटे का कम वक्त लगेगा, अभी डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है। सारण के दिघवारा, सोनपुर, दरियापुर, परसा, छपरा सदर, मकेर आदि प्रखंडों से लोग निर्माणाधीन फोरलेन होते हुए गोविंदचक पहुँचेंगे, जहाँ से आरओबी को क्रॉस करते सीधे जेपी सेतु तक चले जायेंगे, अभी फोरलेन होते पटना जाने वालों को जेपी सेतु से बाकरपुर होते हुए गोविंदचक रेलवे क्रॉसिंग को पार करना पड़ता है। क्रॉसिंग के बंद रहने पर अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.6.23)**

पूर्णिया में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट

• देश के हवाई नेटवर्क से जुड़ेगा सीमांचल, एएआई और बिहार सरकार के बीच हुए करार से खुला रास्ता • 2000 करोड़ खर्च होंगे पूर्णिया में नए एयरपोर्ट बनाने और दरभंगा एयरपोर्ट के विकास पर

देश के हवाई नेटवर्क से सीमांचल को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पूर्णिया में राज्य का चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना, गया, दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे।

व्यापार व समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे : नये एयरपोर्ट के निर्माण से सीमाचल व उसके आपपास के लोगों को व्यापार और यातायात सहित अन्य सुविधाएँ मिल सकेंगी। क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ने से नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही आपात स्थिति में एयर एबुलेंस व अन्य सेवाओं में भी इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.6.2023)**

मनमानी किराया वसूली बंद करें एयरलाइंस

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर से निजी एयरलाइनों को आगाह किया कि यात्री किरायों को लेकर उनके भी सामाजिक दायित्व हैं। किसी भी सेक्टर पर किरायों को बढ़ाने की एक सीमा होनी चाहिए।

उन्होंने अपने मंत्रालय की नौ वर्ष की उपलब्धियों के विवरण साझा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में विमानन क्षेत्र नियंत्रण मुक्त या विनियमित है। इसमें एयरलाइनों को किराया तय करने के अधिकार दिये गये हैं जो बाजार नियंत्रित हैं। देश में विमानन बाजार सीजन आधारित है।

उन्होंने 05 जून को विमानन कंपनियों की एक बैठक बुलायी थी और उनसे कहा गया था कि किराया दर को उचित स्तर पर रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बैठक के बाद असर हुआ है और इन सेक्टरों में किराये 14 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक कम हुए है। यह ठीक है कि नागर विमानन क्षेत्र विनियमित है लेकिन कुछ सेक्टरों पर अधिकतम किराये की सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरलाइनों को यह संदेश साफ-साफ दे दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि एयरलाइनों को इस बारे में स्वयं ही संक्रियता से ध्यान देना होगा।

नागर विमानन मंत्रालय के नौ वर्ष के कार्यो एवं उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या करीब छह करोड़ थी जो अब 130 प्रतिशत की वृद्धि के साथ साढ़े 14 करोड़ हो गयी है। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ सात करोड़ हो गया है। विमानन उद्योग में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.6.2023)**

बिहटा में खुलेगा वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जाँच केन्द्र, अगस्त से होगा चालू

पाँच मिनट में ही गाड़ी को स्कैन करके मिल जाएगा प्रमाण पत्र

कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस जाँच कराने के लिए अब घंटों नहीं रुकना होगा। स्कैनर से एक बार गाड़ी गुजरेगी और पाँच मिनट के अंदर प्रमाण पत्र मित्र जाएगा। पटना शहर से करीब 20 किमी दूर बिहटा स्थित सिकंदरपुर गाँव के पास राज्य का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस जाँच केन्द्र खुल रहा है। इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। दो महीने के अंदर जाँच मशीन आ जाएगी। अगस्त से इसकी सुविधा मिलने लगेगी।

अनफिट होने पर नहीं जारी होगा सर्टिफिकेट : वाहनों की बढ़ती संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। इस सेंटर पर वाहनों को सभी तकनीकी पहलुओं पर परखते हुए फिटनेस टेस्ट होगा। वाहन की बॉडी से लेकर सेफ्टी मेजर्स को ऑटोमेटिक ही परखा जाएगा। अनफिट गाड़ियों को रोड पर चलने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि इन गाड़ियों से सड़क दुर्घटनाओं का काफी खतरा रहता है।

ये होंगे फायदे : • कम समय में वाहनों की फिटनेस जाँच होगी • कबाड़ गाड़ियों को मशीन नहीं देगी फिटनेस सर्टिफिकेट • सही तरीके से जाँच होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी • फिटनेस के साथ-साथ प्रदूषण की भी जाँच होगी • लोगों को जाँच कराने के लिए घंटों देर नहीं करना पड़ेगा इंतजार • ट्रक,

बस, ट्रेवलर, ऑटो, टैक्सी, मोटर, कैब सहित अन्य वाहनों की एक ही जगह होगी जाँच।

पटना के बाद सभी जिलों में खुलेंगे : पटना के बाद जाँच के लिए राज्य के सभी जिलों में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएँगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से निजी क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वाहनों की फिटनेस जाँच ऑटोमेटिक पद्धति से होने से सड़क दुर्घटना में कमी आएगी।

"पटना में कॉमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जाँच होगी। इसके लिए बिल्डिंग तैयार है। मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को अगले दो-तीन महीने में सुविधा मिलेगी।" – **श्री प्रकाश**, डीटीओ, पटना

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.6.2023)

पटना-राँची वंदे भारत का ट्रायल सफल 130 किमी प्रतिघंटे तक रही रफ्तार

छिटपुट अवरोधों को छोड़कर पटना-राँची वंदे भारत का ट्रायल सफलता -पूर्वक पूरा हो गया। पटना से राँची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले पूरा कर लिया। पटना से गया के बीच यह ट्रेन अधिकतम 110 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ी। धनबाद डिविजन पहुँचने पर ट्रेन ने अधिकतम 130 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दूरी तय की। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.6.2023)**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 27.6.2023 को पटना-राँची सहित 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।

अंडरग्राउंड मेट्रो मार्ग के दोनों ओर 20 मीटर तक नहीं करा सकेंगे कोई भी निर्माण कार्य

अंडरग्राउंड मेट्रो रूट की दोनों तरफ अब 20 मीटर की परिधि में बोरिंग लगाने सहित अन्य निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी या गैर सरकारी कार्य के लिए जरूरी होने पर मेट्रो से अनुमति लेनी होगी। अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण में बाधक बोरिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। अभी मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विवि के बीच 1.5 किमी में अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके एलाइनमेंट में आने वाले सैदपुर इलाके की एक दर्जन से अधिक बोरिंग को शिफ्ट किया गया है। जैसे-जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे उन इलाकों में बोरिंग को हटाकर अन्य जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए संबंधित लोगों को कोई खर्च नहीं देना होगा। सरकारी कार्यालय की बोरिंग हो या निजी, दोनों को मेट्रो की एजेंसी द्वारा शिफ्ट किया जाएगा। मेट्रो के परियोजना निदेशक अजय कुमार के मुताबिक अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण 52 से 82 फीट (16 से 25 मीटर) नीचे हो रहा है। जबकि पटना में बोरिंग की गहराई औसतन 250 से 350 फीट है। ऐसे में बोरिंग को शिफ्ट करने का काम होने के बाद ही निर्माण होगा। साथ ही नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है।

पटना मेट्रो : एक नजर

32.497 किमी लंबा मेट्रो प्रोजेक्ट दो हिस्से में बन रहा है। कॉरिडोर-1 का हिस्सा 17.933 किमी और कॉरिडोर-2 का हिस्सा 14.554 कि.मी. है।

अंडरग्राउंड मेट्रो : कॉरिडोर-1 में 10.54 किमी, कॉरिडोर - 2 में 7.926 किमी है। • एलिवेटेड मेट्रो : कॉरिडोर -1 में 7.393 किमी, कॉरिडोर - 2 में 6.638 किमी है। **एलिवेटेड स्टेशन :** कॉरिडोर - 1 में दानापुर, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्णानगर, जगनपुरा और खेमनीचक। कॉरिडोर- 2 में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरोमाइल, भूतनाथ, खेमनीचक, मलाही पकड़ी। **अंडरग्राउंड स्टेशन :** कॉरिडोर- 1 में पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, जू, राजाबाजार, रूकनपुरा। कॉरिडोर-2 में पटना जंक्शन, आकशवाणी, गाँधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विवि , मोइनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्रनगर। **इंटरचेंज स्टेशन :** दोनों प्रोजेक्ट के मिलान स्थल पटना जंक्शन और खेमनीचक हैं। इन्हें इंटरचेंज स्टेशन कहा जाएगा। इनमें पटना जंक्शन के पास अंडरग्राउंड और खेमनीचक में एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.6.2023)

Warehousing Demand Hits A New High

Surge led by manufacturing, third-party logistics (3PL) and retail sectors

The surge in activities from the manufacturing, third-party logistics (3PL) and retail sectors has driven the demand for warehousing to a new peak across India's key logistics markets including eight primary and 17 secondary markets.

A favourable regulatory environment, along with the government's support through policy and reforms, has started to boost spending in infrastructure and, in turn, the overall demand for modern warehousing.

The country's top eight markets have experienced a historic high in demand, reaching 51.3 million sq ft in 2022-23 and taking the compounded annual growth rate (CAGR)to24% between 2016-17 and 2022-23, showed data from Knight Frank India.

(Details : E. T. (New Delh) 14.6.2023)

महावीर मंदिर से हुंकार प्रेस तक बनेगा सब वे, लगेंगे लिफ्ट-एस्केलेटर

पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर से हुंकार प्रेस के बीच निर्माणाधीन सब वे में आवागमन के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएँगे। रैंप व सीढ़ी की सुविधा भी मिलेगी। सब वे निर्माण से प्रतिदिन पटना जंक्शन पर उतरने वाले लगभग 20 हजार यात्रियों को सुविधा होगी। जंक्शन के मुख्य द्वार के दोनों किनारों पर सब वे का निर्माण होना है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) की ओर से महावीर मंदिर से हुंकार प्रेस तक इसका निर्माण किया जा रहा है। वहीं पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) की ओर से पुराने दूध मार्केट से बुद्धा पार्क के समीप बनने वाले पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन तक दूसरे सब वे का निर्माण किया जाएगा। महावीर मंदिर से हुंकार प्रेस तक निर्माणाधीन सब वे बकरी बाजार के मल्टी मॉडल हब और मल्टी लेवल पार्किंग से भी जुड़ेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.6.2023)**

बाइपास पर अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ तक बनेगा 14 किमी लंबा एलिवेटेड रोड

केन्द्र की मंजूरी

निर्माण पर खर्च होंगे 1000 करोड़, डीपीआर बनाने के लिए जल्द जारी होगा टेंडर

पटना के न्यू बाइपास पर अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ तक एलिवेटेड रोड की मंजूरी देते हुए केन्द्र सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए तुरंत टेंडर करने का फैसला लिया है। अनीसाबाद से न्यू बाइपास पर स्थित पटना सिटी के गुरुद्वारा मोड़ तक करीब 1000 करोड़ की लागत से 14 किमी लंबी फोरलेन एलिवेटेड सड़क बनेगी। अभी इस रोड पर 1.25 लाख से 1.5 लाख पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) गाड़ियों का दबाव है। यही कारण है कि करीब 14 किमी दूरी तय करने में अभी गड़ियों को 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। कारण इस न्यू बाइपास की दोनों तरफ अब सैकड़ों नई कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिनमें लाखों की आबादी रह रही है। उन कॉलोनियों की सड़कों से न्यू बाइपास पर दिनभर गाड़ियाँ चढ़ती रहती हैं। इस कारण न्यू बाइपास से गुजरने वाली बड़ी गाड़ियों (ट्रकों और अन्य बड़े मालवाहक वाहनों) को अनीसाबाद से पटना सिटी इलाके के दीदारगंज की तरफ जाने या आने में भारी परेशानी होती है। खासकर अनीसाबाद मोड़, बेउर मोड, 90 फीट रोड मोड़, भूतनाथ रोड मोड़, पहाड़ी मोड़ समेत कई मोड़ पर दिनभर जाम लगा रहता है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 13.6.2023)**

हादसे में मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन जल्द

• जिस जिले में दुर्घटना होगी, वहीं के ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई भी होगी • जिलों में गठित होने वाले ट्रिब्यूनल के लिए नियमावली तैयार

सड़क पर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों व घायलों के लिए मुआवजे की राशि तय करने के लिए जिलों में गठित होने वाले ट्रिब्यूनल की नियमावली तैयार कर ली गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसकी

नियमावली पर दावा-आपत्ति के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था। यह अवधि समाप्त होने के बाद नियमावली गठन की अधिसूचना परिवहन विभाग ने जारी कर दी है। **यह 'बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त)' नियमावली, 2023 कही जाएगी।**

जल्द ही राज्य के सभी जिलों में ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी वाहन दुर्घटना में मुआवजा को लेकर ट्रिब्यूनल में ही आवेदन दिए जाएँगे। ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में संबंधित बीमा कंपनी मुआवजे की राशि का भुगतान करेगी। इसका कार्यक्षेत्र उस जिले का भौगोलिक क्षेत्र होगा। यानी जिस जिले में दुर्घटना होगी, वहाँ के संबंधित ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होगी।

पांच साल के अध्यक्ष का चयन होगा : हर ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होंगे। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति या जिला जज (पूर्व या वर्तमान) इसके अध्यक्ष होंगे। पाँच वर्षों तक के लिए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, जो अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहेंगे।

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहयोग करेंगे : अध्यक्ष की नियुक्ति परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा और विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर होगी। दावों को तेजी से निपटाने में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी या इसके समकक्ष पदाधिकारी सचिव के रूप में सहयोग करेंगे। सचिव ही न्यायाधिकरण कार्यालय के निकासी और व्ययन पदाधिकारी भी होंगे। परिवहन विभाग ट्रिब्यूनल को कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराएगा। इनमें उच्च वर्गीय लिपिक, आशुलिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, डाटा इंट्री ऑपरेटर आदि होंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.6.2023)**

इ-मेल या डाक से करें साइबर क्राइम की एफआइआर

सूबे में 44 नये साइबर थाने 9.6.2023 से हुए चालू, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था

सूबे के 40 पुलिस जिलों और चार रेल जिलों में नवगठित 44 साइबर पुलिस थाने शुक्रवार 9.6.2023 से कार्यरत हो गये। अब साइबर अपराध से पीड़ित कोई भी व्यक्ति सामान्य पुलिस थानों के साथ ही इन साइबर थानों में भी प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति शिकायत कहीं भी दर्ज करा सकता है। ऐसे सभी मामलों में घटनास्थल साइबर स्पेस माना जायेगा। कोई थानाध्यक्ष घटनास्थल के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

एडीजी ने बताया कि साइबर अपराध के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष प्राधिकृत होंगे, पीड़ित सीधे थाने में आकर प्राथमिकी के लिए आवेदन दे सकेंगे। साथ ही इ-मेल व डाक से आने वाली शिकायतों की आवश्यक होने पर जाँच कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई होगी। महिलाओं व बच्चों से संबंधित इ-मेल या डाक से भेजे गये आवेदन पर साइबर थाने के पदाधिकारी उनके पास जाकर संबंधित जाँच व कार्रवाई पूर्ण करेंगे। उन्हें थाना नहीं बुलाया जायेगा।

• ई-मेल से शिकायत प्राप्त करने के लिए एनआइसी पर सभी थानों का इ-मेल आइडी बन रहा है, जिसे प्रसारित किया जायेगा • इस खबर से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

ऐसी शिकायतें होंगी दर्ज : • ऑनलाइन या इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की शिकायतें • महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन या इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें • बच्चों-नाबालिगों के विरुद्ध ऑनलाइन अपराध • आइटी एक्ट 2000 के अधीन परिभाषित किये गये सभी आकार के अपराध से संबंधित मामले • सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम संबंधित कोई भी शिकायत/कांड जिसमें जटिल तकनीकी समस्याएँ शामिल हो या साइबर अपराध से संबंधित ऐसे मामले जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपा गया हो। **(साभार : प्रभात खबर, 10.6.2023)**

पटना में खुला पहला साइबर थाना, अब ठगी की एकआइआर दर्ज कराने में होगी आसानी

पटना जिला साइबर थाना के थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर 9006417097 है • जिलों के नाम से जाने जायेंगे साइबर थाने ठगी की राशि वापस दिलाने में मिलेगी मदद

ललित भवन के पास पुरानी एफएसएल बिल्डिंग में स्थित साइबर थाना का उद्घाटन शुक्रवार 09.06.2023 की सेंट्रल रेंज आइजी राकेश राठी और एसएसपी राजीव मिश्रा ने किया। आइबर थाना ने काम करना शुरू कर दिया है। आइजी ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए एक विशिष्ट थाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने लोगों से अपील है कि अगर वे ठगी के शिकार होते हैं, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी थाने या साइबर थाने में शिकायत करें। पीड़ित जितनी जल्दी थाने में शिकायत करेंगे, ठगी की राशि होल्ड होने को संभावना उतनी अधिक होगी।

बिहार पुलिस की अपराध इकाई (इओयू) के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि साइबर थानों को उनके जिले के साइबर थाना के नाम से जाना जायेगा। इनमें तकनीकी जानकारी रखने वाले पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को पदस्थापित किया जा रहा है। डीएसपी स्तर के पदाधिकारी इसके थानाध्यक्ष के प्रभार में रहेंगे, जबकि दर्ज कांडों का अनुसंधान इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी करेंगे। इन थानों में सभी रजिस्टर और दस्तावेज भी डिजिटली संधारित किया जायेगा। जिले में पूर्व से चल रहे सामान्य थानों में भी साइबर अपराध से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है। साइबर पुलिस थाना के द्वारा जिले के अन्य थाना में साइबर से संबंधित कांडों में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

एफआइआर दर्ज कराना होगा आसान : खान ने बताया कि जिला स्तर पर साइबर थाने खुलने से एफआइआर दर्ज कराना आसान होगा और क्षेत्राधिकार की समस्या नहीं होगी। ठगी की गयी राशि को साइबर अपराधी के खाते में होल्ड कराने एवं पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र वापस दिलाने की प्रक्रिया भी तेज होगी। इससे साइबर अपराध के संगठित गिरोहों के विरुद्ध एक अभियान के तहत कार्रवाई करने में आसानी होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 10.6.2023)**

बिहार में अब ई-20 पेट्रोल की होगी बिक्री

रंग लाने लगी इंथेनाल नीति, कई यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं, जून के अंत तक बिहार के 33 पंपों पर बिक्री चालू करने की तैयारी

केन्द्र सरकार की ओर से ई-10 पेट्रोल (10 प्रतिशत इथेनाल की मिश्रण) के बाद अब ई-20 पेट्रोल (20 प्रतिशत इथेनाल की मिश्रण) की बिक्री को हरी झंडी मिल चुकी है। जून के अंत तक राज्य के 33 पेट्रोल पंपों पर इसकी बिक्री की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनाल की मिलावट की शुरूआत की घोषणा फरवरी में ही कर्नाटक में कर चुके है।

बिहार समेत देश के 11 राज्यों में ई-20 पेट्रोल की बिक्री तेज की जाएगी। इसके लिए बिहार में इथेनाल की कई यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं। सरकार के इस कदम से ईंधन का स्टाक बढ़ेगा तथा पेट्रोल की आयात में 30 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।

31 मार्च 2025 तक अनिवार्य होगा ई-20 की बिक्री : आइओसीएल ने 20 प्रतिशत सम्मिश्रण के साथ 30 दिनों के स्टाक के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता बनाई है। सरकार की वर्तमान अधिसूचना में सभी पम्पों से 20 प्रतिशत इथेनाल मिश्रित एमएस को 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से बिक्री करना है ताकि लोगों को इसका फायदा मिले।

"राज्य में ई-20 पेट्रोल की बिक्री की स्वीकृति सरकार के स्तर पर मिल चुकी है। इस महीने के अंत तक 33 पंपों पर यह मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।"

– संजीव कुमार चौधरी, कार्यकारी निदेशक, इंडियन आयल सह संयोजक, राज्य स्तरीय समन्वय समिति।

1333.5 किलो लीटर प्रतिदिन हो रहा उत्पादन : राज्य सरकार के सपोर्ट से राज्य में 15 इथेनाल यूनिट को स्थापित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे पानी के समृद्ध भंडार, अनाज और गन्ने की प्रचुरता के कारण बिहार देश में इथेनाल उत्पादन का हब बनेगा। राज्य में इसकी 15 बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिनमें पांच को पहले ही चालू किया जा चुका है। यहाँ से हर दिन 1333.5 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इसमें गोपालगंज की दो, पूर्णिया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर की एक-एक यूनिट शामिल है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर में दो इथेनाल यूनिट ट्रायल उत्पादन आरभ कर चुका है। गोपालगंज की 75 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली यूनिट को छोड़कर शेष सभी यूनिट की उत्पादन व बिक्री की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह मार्केटिग विभिन्न तेल कपनियो के साथ किया जा रहा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.6.2023)

गलत या छूटी हुई जमाबंदी पर डीसीएलआर लेंगे निर्णय

अंचलों में प्रभारी की जगह स्थायी अंचलाधिकारी तैनात होंगे

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि राज्य में डिजिटाइजेशन में बड़ी संख्या में छूटी हुई या गलत जमाबंदी को लेकर अंचलाधिकारी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर भुमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) निर्णय करेंगे। वहीं, टोप्पो लैंड या अन्य भूमि की नई जमाबंदी अथवा जिन जमाबंदियों से जुड़े रजिस्टर फट चुके है।

मंत्री श्री मेहता ने दिनांक 8.6.2023 को मुख्य सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए बना पोर्टल-परिमार्जन- कार्ययत है। लेकिन विभाग को शिकायत मिल रही थी कि छुटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के नाम पर कई तरह की अनियमितता की जा रही है। इस तरह की 9.65 लाख छुटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन किया गया है। कहा कि मैनें विभाग को निर्देश दिया है कि गड़बड़ी रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर डिजिटाइज और ऑनलाइल किया गया है, उसके भी नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबधित अंचल अधिकारी व जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कारवाई की जाएगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.6.2023)

निबंधन से पहले होगी स्थल जाँच

राज्य में किसी तरह के निजी संस्था या एनजीओ के निबंधन कराने के प्रावधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। संबंधित संस्था को निबंधित करने से पहले उसकी समुचित तरीके से जाँच होगी। अब निबंधन के लिए आवेदन करने वाले संस्थान का स्थल निरीक्षण (स्पॉट वेरिफिकेशन) किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि संस्थान सिर्फ कागज पर ही तो नहीं चल रहे हैं या उसका दिया गया पता फर्जी तो नहीं है। संस्थान सभी मानकों पर पूरी तरह से सही उतरती है या नहीं। इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों के अवर निबंधक और सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को लिखित आदेश जारी किया है। इसमें किसी संस्था का निबंधन करने से पहले विभाग की तरफ से इसकी जाँच को लेकर जारी सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। साथ ही सभी दस्तावेजों की जांच करके इसकी समुचित रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजनी होगी।

इन बिन्दुओं की होगी जाँच : • संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी सदस्यों का नाम, पता का सत्यापन उनके मूल पहचान-पत्र से किया जाएगा • संस्था प्रस्तावित कार्यालय पता पर कार्यरत है या नहीं, इसका उल्लेख जाँच प्रतिवेदन में होगा • संस्था का संचालन व कार्यकलाप इसके उद्देश्य एवं नियमावली के अनुरूप है या नहीं। यदि नहीं, तो इसका स्पष्ट उल्लेख करें • अगर किसी संस्था में किसी तरह का संशोधन किया जाता है, तो इस तथ्य की समुचित तरीके से जाँच करनी होगी • संशोधन को संस्था की पहली व दूसरी सभा से पारित कराया गया है या नहीं, इसकी मूल पंजी की जाँच करके देखना होगा • संस्थान के तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट व फॉर्मएच का सही से पालन किया है या नहीं, इसकी पड़ताल होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.6.23)**

बियाडा द्वारा इकाइयों को जमीन का आवंटन

May 2023 में BIADA (Bihar Industrial Area Development Authority) के PCC (Project Clearance Committee) की बैठकें दिनांक 15 मई 2023, 23 मई 2023 एवं 30 मई 2023 को हुई जिसमें कुल मिलाकर 9 + 12 + 10 = 31 units को land allotment किया गया। जिसकी पूरी सूची Company Name एवं Industry के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) में उपलब्ध है। जो सदस्य इस सूची को देखना चाहते हैं वो चैम्बर में देख सकते है :-

Date of Meeting	Applications	No. of Unit
15.05.2023	Application for More than 20,000 sqft	04
	Application Up to 20,000 sqft	10
23.05.2023	Application for More than 20,000 sqft	06
	Application Up to 20,000 sqft	16
30.05.2023	Application for More than 20,000 sqft	03
	Application Up to 20,000 sqft	11

June 2023 में BIADA (Bihar Industrial Area Development Authority) के PCC (Project Clearance Committee) की बैठकें दिनांक 6 जून, 2023 एवं 14 जून, 2023 को हुई। जिसमें कुल मिलाकर 9 + 6 = 15 units को land allotment किया गया। जिसकी पूरी सूची Company Name एवं Industry के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) में उपलब्ध है। जो सदस्य इस सूची को देखना चाहते हैं वो चैम्बर में देख सकते है :-

Date of Meeting	Applications	No. of Unit
06-06-2023	Application for More than 20,000 sqft	04
	Application Up to 20,000 sqft09	09
14-06-2023	Application for More than 20,000 sqft	02
	Application Up to 20,000 sqft08	08

Trai cracks down on promo calls, SMS

DLT PLATFORMS ARE run by telecom operators where businesses that are involved in sending bulk promotional or transactional SMS need to register by giving their business details, including sender IDs and SMS templates.

As per the directions, telecom operators will use a common short code 12 7 for sending consent seeking message. The purpose, scope of consent and principal entity/brand name shall be mentioned clearly in the consent seeking message sent through the short code. Only whitelisted URLs/APKs (Android package kits file format)/OTT links/call back numbers, etc shall be used in the consent seeking messages,Trai said.

(Detail : Financial Express (New Delhi) 4.6.2023)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296